पत्रांकः–2299 /

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 10/11/2026

विषय :– **विद्यालयों में स्वच्छ, वातावरण, Gender Neutrality एवं prevention of sexual harassment of working women at work place लागू करने के संबंध में।**

प्रसंगः–
(1) कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिरोध, एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013
(2) बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग संकल्प ज्ञापांक 17903, दिनांक– 29.12.2014
(3) भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं0 1667566576557, दिनांक– 04.11.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण एवं उनके लिए Gender Neutrality लाना सरकार के मूल उद्देश्यों में से एक है। इस प्रयास की कड़ी में Lady Teachers (महिला शिक्षिकाओं) को स्कूलों/कार्यालयों में कार्य करने हेतु स्वच्छ, सुरक्षित एवं संवेदनशील वातावरण उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। इसी क्रम में भारत सरकार का 2013 का प्रासंगिक अधिनियम लागू किया गया तथा राज्य सरकार ने प्रासंगिक संकल्प 2014 निर्गत हुआ। भारत सरकार ने 04 नवंबर, 2022 को एक समेकित कार्यालय ज्ञापन निर्गत किया है जो विस्तृत एवं व्यापक है।

2. उक्त प्रासंगिक कानूनी Architecture के अलावा विद्यालयों/कार्यालयों में पदस्थापित महिला कर्मियों के बेहतर योगदन के लिए सामान्य दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :

(क) महिला कर्मी/महिला शिक्षिकाओं के साथ Respectfully (आदरपूर्ण) व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।

(ख) महिलाओं को पढ़ाने में समान अवसर प्रदान किया जाए।

(ग) प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों को बच्चों से कक्षा के बाद भी Interact करने हेतु Extra-Curricular Activities के लिए प्रोत्साहन दिया जाए।

(घ) PTM में यदि बच्चे/बच्ची की माता आती हैं तो महिला शिक्षक उससे Interact करके बच्चों के शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक विषयों पर चर्चा करें।

(ड.) बच्चियों महिला शिक्षकों के समीप ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। इसके लिए महिला शिक्षिका ही उनके Mentor होंगे।

(च) स्कूल परिसर में महिलाओं से दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा।

(छ) स्कूलों में उनके साथ संविधान के अनुच्छेद– 14 के मूल भावना के आलोक में Discrimination नहीं किया जाएगा।

(ज) राष्ट्रीय एवं सामाजिक कार्यों में महिला शिक्षक को Include किया जाएगा।

(झ) महिला शिक्षक को गान/नृत्य **(26 जनवरी/15 अगस्त एवं 5 सितम्बर)** के कार्यक्रमों में योगदान देने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

1. (क) महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी कार्यालय में Internal Coplaints Committee (ICC) गठन करने का प्रावधान 2013 के अधिनियम में है। इसमें अध्यक्ष वरीयतम महिला कर्मी होंगी। (यद्यपि यदि उनपर विभागीय कार्यवाही संचालित है तो इसके अतिरिक्त वरीयता के आलोक में अध्यक्ष हो सकेंगे)।

(ख) यदि किसी महिला कर्मी/स्कूल शिक्षिका के साथ गलत व्यवहार किया जाता है ता वे (i) लिखित में (ii) 90 दिनों के अंदर ICC के अध्यक्ष को शिकायत पत्र दायर किया जा सकता है। (अधिनियम के धारा–9 के अंतर्गत)।

(ग) ICC द्वारा प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद कोई भी जाँच Principles of Natural Justice के अनुसार करेगी। (अधिनियम के धरा–7 के आलोक में)।

(घ) महिलाओं के विरूद्ध दुर्व्यवहार करना Conduct Unbecoming of Government Servent माना जाएगा एवं "Misconduct" होगा जिसके लिए नियुक्ति प्राधिकार अनुशासिनक कार्रवाई कर सकेंगे।

2. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0 15053 दिनांक– 08 नवंबर 2016 के अनुसार **"जिला पदाधिकारी"** अपने जिला अधिनस्त सभी मामलों के लिए सक्षम प्राधिकार अधिनियम के धारा–5 के अंतर्गत घोषित है। (प्रतिलिपि संलग्न)

अतः इन सामान्य दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का दायित्व जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक– यथोपरि।

(क) 3 प्रासंगिक पत्र

(ख) सामान्य प्रशासन पत्र दिनांक–08.11.2026

विश्वासभाजन

10/11/2026

(सी0के0 अनिल)
अपर मुख्य सचिव।